

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना ।

अधिसूचना

अधिसूचना सं० \_\_\_\_\_

पटना/दिनांक \_\_\_\_\_

ग्रा०वि०७(आं)-६०/२०१३

श्रम संशाधन विभाग के अधिसूचना संख्या जापांक ५/एम०डब्लू०-४०२/२००९ श्र०सं० १६९७ पटना दिनांक १९.०६.२०१४ एवं राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय संसूचन संकल्प सं०-१५६८५८ दिनांक २३.०७.२०१३ के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिकों को संदेय मजदूरी की दर अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से १६२/- (एक सौ बासठ) रुपया से बढ़ाकर १७७/- (एक सौ सतहत्तर) रुपया की जाती है ।

ह०/-

(मिथिलेश कुमार सिंह)

अपर सचिव ।

जापांक \_\_\_\_\_

पटना/दिनांक \_\_\_\_\_

ग्रा०वि०७(आं)-६०/२०१३

प्रतिलिपि:- पाँच प्रतियों में अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले अंक में प्रकाशन प्रेषित ।

ह०/-


अपर सचिव ।

जापांक १९५२७९

पटना/दिनांक ०५/०८/१४

ग्रा०वि०७(आं)-६०/२०१३

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव, आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिव, बिहार के सचिव, विकास आयुक्त, बिहार के सचिव, परिषद् के सभी सदस्यों, सभी विभागीय सचिव / विभागाध्यक्ष, सभी कार्याध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी अध्यक्ष, जिला परिषद्, सभी प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
अपर सचिव ।